

2/6/2019
21/1/2019
8.2.18

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/मा-स/लोकायुक्त/मानवाधिकार/2016-19/55 दिनांक : 05/02/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :- राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस अन्तर्गत निर्देश जारी करने के संबंध में।

प्रसंग :- शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर के पत्रांक : प.05(03)प्रा.शि./आयो./2019 दिनांक : 29.01.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर में दर्ज परिवाद संख्या 18/17/5435 दिनांक : 28.12.2018 के प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यक्रम माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

1. प्रत्येक विद्यालय में वर्ष में एक बार (वर्ष 2019 से) स्कूली विद्यार्थियों में स्कूल स्तर पर "मानव अधिकार" विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित किए जाने हेतु सभी विद्यालयों को निर्देश जारी किए जावें।
2. माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष में एक बार (वर्ष 2019 से) विद्यार्थियों का प्रत्येक विद्यालय में मानव अधिकार विषय पर लेख प्रतियोगिताएं आयोजित कि जावें।
3. उपरोक्त वाद-विवाद तथा लेख प्रतियोगिता वर्ष में एक बार संभागीय स्तर पर (वर्ष 2019 से) शुरू की जावें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. सहायक निदेशक, सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा को उनकी अनौ0टि0क्र0 : शिविरा/माध्य/सतर्कता/मा.अ.आ./339/31 दिनांक : 30.01.2019 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/लोकायुक्त/मानवाधिकार/2016-19/55 दिनांक : 05/02/2019
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\General letter.docx

राजा शिव, राजस्थान सरकार

221

सर्व जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित है कि पत्रावली क्रमांक 18/17/5435 दिनांक 28.12.2018 के प्रकरण में शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर के पत्रांक : प.05(03)प्रा.शि./आयो./2019 दिनांक : 29.01.2019 के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यक्रम माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-